

पारी
16-7-18

१८.७.१८

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं सी0ओ0टी0पी0ए0—2003 के प्रभावी संचालन हेतु सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 05.07.2018 को स्टेक होल्डर के साथ आयोजित बैठक का कार्यवृत्त :-

बैठक में प्रतिभाग करने वाले सभी अधिकारियों की सूची संलग्न है।
परिचयोपरान्त बैठक प्रारम्भ हुई।

बैठक प्रारम्भ करते हुए सर्वप्रथम डा० आलोक कुमार, संयुक्त निदेशक(स्वास्थ्य)/राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा पॉवर प्वाइन्ट प्रजेंटेशन के माध्यम से प्रदेश में चलाये जा रहे राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं सी0ओ0टी0पी0ए0—2003 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अद्यतन स्थिति, विषमताओं एवं उनके निवारण हेतु सुझाव रखे गये।

राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0 द्वारा चलाये गये “येलो लाइन” कैम्पेन का विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अपने आधिकारिक वेबसाइट पर संज्ञान लिये जाने के सम्बन्ध में अध्यक्ष द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा कुम्भ मेला, 2019 में प्रचार-प्रसार के माध्यम से गतिविधियों को चलाये जाने एवं जनमानस को जागरूक करने एवं “येलो लाइन” कैम्पेन चलाये जाने के साथ ही साथ प्रदेश के समस्त स्वास्थ्य इकाईयों में प्रदेश व्यापी “येलो लाइन” कैम्पेन चलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

सीमा गुप्ता, निदेशक, वी0एच0ए0आई0 (स्वयं सेवी संस्था) द्वारा प्रदेश में तम्बाकू नियंत्रण एवं सी0ओ0टी0पी0ए0—2003 के क्रियान्वयन पर प्रकाश डाला गया, जिसमें उनके द्वारा राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को किये जा रहे सहयोग के बारे में बताया गया कि राज्य तम्बाकू प्रकोष्ठ द्वारा तम्बाकू नियंत्रण हेतु किये जा रहे प्रयासों जैसे जनपदों के एन0टी0सी0पी0 कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रशिक्षण में सहयोग, सभी स्वास्थ्य इकाईयों को तम्बाकू मुक्त बनाने में सहयोग, उत्तर प्रदेश ग्लोबल एडल्ट टोबैको रिपोर्ट का प्रसारण किये जाने में सहयोग किया गया।

सीमा गुप्ता, निदेशक, वी0एच0ए0आई0 (स्वयं सेवी संस्था) द्वारा प्रदेश में तम्बाकू नियंत्रण एवं सी0ओ0टी0पी0ए0—2003 के सफल क्रियान्वयन हेतु पुलिस विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाहियों एवं रिपोर्टिंग हेतु सघन समीक्षा किये जाने की जरूरत बताई गई। उक्त के अतिरिक्त होटल रेस्टोरेंट, पब एवं बार में अधिकृत धूम्रपान क्षेत्र के अनुपालन हेतु एवं प्रदेश में ई-सिगरेट पर प्रतिबन्ध लगाये जाने की बात पर जोर दिया गया, जिस पर अपेक्षा की गयी कि तम्बाकू नियंत्रण एवं सी0ओ0टी0पी0ए0—2003 के प्रभावी क्रियान्वयन में पुलिस विभाग द्वारा राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की यथासम्भव प्रयास/सहायता की जाय।

श्री विवेक अवस्थी, डायरेक्टर, यू0पी0वी0एच0ए0 (स्वयं सेवी संस्था) द्वारा प्रदेश में चलाये जा रहे राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं सी0ओ0टी0पी0ए0—2003 के प्रभावी क्रियान्वयन में वेन्डर लाइसेंसिंग एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के एफ0सी0टी0सी0 के अनुच्छेद-5.3 को लागू किये जाने की अपेक्षा की गयी, उनके द्वारा बताया गया कि प्रदेश में वेन्डर लाइसेंसिंग व्यवस्था लागू नहीं होने के कारण जनपदों में यत्र तत्र दुकानें खोली जा रही हैं, जिसमें खाद्य पदार्थों के साथ ही साथ तम्बाकू उत्पादों की बिक्री की जा रही

है! यहां तक कि नाबालिग बच्चों के द्वारा उस तरह की दुकानों का संचालन किया जा रहा है, जिसके सम्बन्ध में उन्होंने श्री अरुण झा, आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रेषित पत्र में भी प्रदेश में वेन्डर लाइसेंसिंग लागू किये जाने की अपेक्षा की है।

श्री अवरथी द्वारा बताया गया कि यदि प्रदेश में वैन्डर लाइसेंसिंग एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के एफ0सी0टी0सी0 अनुच्छेद-5.3 को लागू करने से राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के उद्देश्यों एवं सी0ओ0टी0पी0ए0—2003 का प्रभावी क्रियान्वयन किये जाने में अत्यधिक सहयोग मिल सकता है।

तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की भूमिका एवं अपेक्षाएँ :-

- ✓ **स्वास्थ्य विभाग** :— तम्बाकू के उपयोग से शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो इससे प्रभावित न होता हो। जिसमें मुख्यतः कैंसर, हृदय रोग, फेफड़े की बीमारी अधिक होती है। नोडल विभाग होने के नाते स्वास्थ्य विभाग कि जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है। अतः आशा की जाती है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा अन्य विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से समन्वय स्थापित करते हुए तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं कोटपा-2003 के प्रभावी अनुपालन तथा संस्थानीकरण को तीव्र गति प्रदान की जाए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग अपने अन्य स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों यथा NCD Programme, RNTCP, RBSK, RKSK इत्यादि में तम्बाकू नियंत्रण को प्रभावी तरीके से सम्मिलित किया जाए।
 - ✓ **शिक्षा विभाग** :— विद्यालयों में तम्बाकू/तम्बाकू से निर्मित पदार्थों, गुटखा आदि से होने वाले शारीरिक एवं मानसिक विसंगतियों और गंभीर बीमारी के बारे में बच्चों एवं शिक्षकों के बीच जागरूकता फैलायी जाय क्योंकि बच्चे हीं देश के भविष्य हैं। साथ ही पाठ्य पुस्तकों में तम्बाकू नियंत्रण संबंधी आवश्यक जानकारी मुद्रित करायी जायें। शिक्षण संस्थानों के निश्चित दायरे (100 गज) के अंदर किसी भी तम्बाकू पदार्थ यथा गुटखा, पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए एवं इससे संबंधित बोर्ड भी प्रदर्शित किये जायें तत्सम्बन्धी निषेधात्मक कृत कार्यवाहियों की मासिक समीक्षा करते हुए उसकी सूचना संकलित कर अपने उच्चाधिकारी को प्रेषित किया जाय।
 - ✓ **गृह विभाग** :—राज्य में कोटपा (2003) को सफलतापूर्वक लागू करने में गृह विभाग की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि पुलिस के सहयोग के बिना चालान/दण्ड व्यवस्था को स्थापित करना काफी कठिन है। पुलिस के सहयोग से कोटपा के अनुपालन को बल मिलेगा तथा छापेमारी एवं दण्ड व्यवस्था और अधिक सशक्त होगी। साथ ही राज्य के सभी थानों पर “धूम्रपान निषेध क्षेत्र—यहाँ धूम्रपान करना एक दण्डनीय अपराध है” का साईन बोर्ड लगाते हुए इसका शब्दशः पालन करवाया जाये एवं उपरोक्त की कोटपा-2003 में निहित सेक्षण वार मासिक समीक्षा करते हुए तत्सम्बन्धी निषेधात्मक कृत कार्यवाहियों की सूचना का संकलन कर अपने उच्चाधिकारी को प्रेषित किया जाय।

- ✓ **सूचना एवं जन संपर्क विभाग** :— इस विभाग द्वारा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया में तम्बाकू के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर निगरानी रखी जाए ताकि किसी भी तम्बाकू पदार्थ का विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जा सके। साथ ही टेलीविजन/सेंसर बोर्ड के माध्यम से होने वाले तम्बाकू के लुभावनीकरण (ग्लोमोराईजेसन) को रोके। सूचना एवं जन संपर्क विभाग द्वारा तम्बाकू नियंत्रण के मुद्दे पर सघन अभियान चलाया जाए।
- ✓ **वित्त/वाणिज्य कर विभाग** :— वित्त विभाग की तम्बाकू नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका है। वित्त विभाग द्वारा कर में बढ़ोत्तरी से अधिक—से—अधिक राजस्व की उगाही होगी तथा तम्बाकू का उपयोग भी कम होगा।
- ✓ **कृषि विभाग** :— कृषि विभाग से अपेक्षा है कि वे किसानों को प्रेरित करें कि तम्बाकू की खेती कम—से—कम की जाय तथा वैकल्पिक फसल के उत्पादन को बढ़ाया जाए। इस हेतु आवश्यक दिशा—निर्देश जारी किये जायें तथा इसके लिए आवश्यक सब्सिडी प्रदान की जाए।
- ✓ **श्रम संसाधन विभाग** :— लोगों को तम्बाकू से होने वाली हानि एवं विनाशकारी परिणामों के संबंध में जानकारी प्रदान की जाये एवं तम्बाकू उत्पादन, निर्माण मुख्यतः बीड़ी उत्पादन में लगे कर्मियों के लिये आवश्यक कदम उठाए जायें ताकि उन लोगों को सही रोजगार का अवसर प्रदान किया जाए।
- ✓ **ग्रामीण विकास विभाग** :— ग्रामीण विकास विभाग अपने विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये तम्बाकू नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है। अपने विभाग से जुड़े स्वयंसेवी संस्थानों को भी तम्बाकू नियंत्रण में कार्य करने हेतु अधिकृत कर सकते हैं। साथ ही ये विभाग तम्बाकू उत्पादन करने वालों को वैकल्पिक आजीविका के साधन उपलब्ध करा सकती है उदाहरणस्वरूप—मनरेगा। साथ—साथ ग्रामीणों में जागरूकता फैलाया जाए, लोगों को कोटपा के नियमों से अवगत कराया जाय एवं इस हेतु प्रचार—प्रसार भी किया जाए।
- ✓ **खेल एवं युवा विभाग** :— खिलाड़ियों को सिगरेट, तम्बाकू गुटखा के सेवन से होने वाली खतरनाक बीमारी से अवगत कराया जाए तथा खिलाड़ियों को खेल के दौरान यदा—कदा इस हेतु विरोध प्रदर्शित करने के लिए काली पट्टी का इस्तेमाल करवाया जाए। किसी भी तम्बाकू निर्माता कम्पनी से महोत्सव/खेल आयोजन हेतु किसी भी प्रकार की सहायता न ली जाए।
- ✓ **परिवहन विभाग** :— परिवहन विभाग द्वारा बसों पर धुम्रपान न करने हेतु पोस्टर/नोटिस अंकित किया जाए तथा साथ ही बस के अंदर बैठे लोग धुम्रपान/गुटखा सेवन न करें उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। बस अड्डों एवं चेकपोस्टों पर धुम्रपान रोकने हेतु “धुम्रपान निषेध क्षेत्र—यहाँ धुम्रपान करना एक दण्डनीय अपराध है” का बोर्ड प्रदर्शित किए जायें, साथ ही विभाग के परिक्षेत्रों की निषेधात्मक कृत कार्यवाही की मासिक समीक्षा करते हुए उसकी संकलित सूचना अपने उच्चाधिकारी को भेजे।
- ✓ **पर्यटन विभाग** :— पर्यटन विभाग द्वारा सभी पर्यटक स्थलों, होटलों/मोटलों/रेस्टोरेंटों आदि में “धुम्रपान निषेध क्षेत्र—यहाँ धुम्रपान करना एक दण्डनीय अपराध है” का साईन बोर्ड प्रदर्शित कराया

जाए। राज्य के प्रमुख एवं प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों को ‘तम्बाकू मुक्त’ घोषित किया जाय, तत्सम्बन्धी निषेधात्मक कृत कार्यवाही की मासिक समीक्षा करते हुए उसकी सूचना अपने उच्चाधिकारी को प्रेषित की जाय।

- ✓ **समाज कल्याण विभाग** :— तम्बाकू का उपयोग एक समाजिक समस्या भी है। समाज कल्याण विभाग द्वारा समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आई०सी०डी०एस० केन्द्रों पर भी तम्बाकू के गंभीर खतरे के बारे में प्रचार-प्रसार किया जाय। अपने विभाग से जुड़े स्वयंसेवी संस्थानों को भी तम्बाकू नियंत्रण में कार्य करने हेतु अधिकृत कर सकते हैं।
- ✓ **पंचायती राज विभाग** :— पंचायती राज विभाग से आशा है कि तम्बाकू नियंत्रण का प्रचार-प्रसार कर गाँव-गाँव तक पहुँचाने में सहयोग करेंगे। पंचायती राज विभाग द्वारा गाँव अथवा पंचायत को ‘तम्बाकू मुक्त’ घोषित किया जाए ताकि इसका संदेश दूर-दूर तक फैले।
- ✓ **पर्यावरण एवं वन विभाग** :— पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा तम्बाकू उत्पादन, निर्माण एवं उपयोग से होने वाले पर्यावरण खतरे के बारे में आमजन को प्रचार-प्रसार के माध्यम से जगरूक किया जा सकता है। साथ ही तम्बाकू उद्योग से होने वाले पर्यावरण खतरे को कम करने हेतु प्रभावी कदम उठाया जाए।

बैठक में लिये गये मुख्य निर्णयः—

- सभी सरकारी विभागों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं को मिल कर “धूम्रपान/तम्बाकू मुक्त उ०प्र० की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए।

(कार्यवाही—समस्त विभाग, उ०प्र०)

- जिन जिलों में जिला तम्बाकू समन्वय समिति का गठन नहीं किया गया है, उसे शीघ्रता से किया जाय।

(कार्यवाही:—समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ०प्र०)

- सभी विभागों द्वारा तम्बाकू नियंत्रण पर प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए ताकि जनमानस को जागरूक किया जा सके, जिस हेतु यह निर्णय हुआ कि उत्तर प्रदेश के सरकारी निगमों/स्वायत्त शासित संस्थाओं/अर्द्ध सरकारी संस्थाओं/सहकारी संस्थाओं यथा—उ०प्र० कोऑपरेटिव फेडरेशन/उ०प्र० राज्य कर्मचारी कल्याण निगम आदि के माध्यम से एन०सी०डी० कार्यक्रमों के अन्तर्गत सम्बन्धित प्रचार-प्रसार एवं अन्य सामग्री का क्रय नियमानुसार कराया जाय। जिससे समस्त कार्यक्रमों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो सके तथा जनमानस लाभान्वित हो सके।

(कार्यवाही:—महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सेवायें)

- राज्य के सभी सरकारी कार्यालय/संस्थान, सभी शैक्षणिक संस्थान एवं सभी स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थानों को ‘तम्बाकू मुक्त’ घोषित करते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(कार्यवाही:—समस्त जिला अधिकारी/समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ०प्र०)

- तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम के विभिन्न धाराओं (सी0ओ0टी0पी0ए0—2003) का कड़ाई से अनुपालन एवं अनुश्रवण कराया जाये।

(कार्यवाही:—पुलिस विभाग, उ0प्र0)

- जनपद—लखनऊ को तम्बाकू मुक्त घोषित किये जाने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर से कार्ययोजना बनायी जाय तथा कार्ययोजना के अनुसार तम्बाकू मुक्त घोषित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना।

(कार्यवाही:— मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ)

- मासिक समीक्षा बैठक में राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव/सचिव/निदेशक तथा जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0 द्वारा सी0ओ0टी0पी0ए0—2003 के अनुपालन में अनुश्रवण एवं समीक्षा की जाय एवं निषेधात्मक कृत कार्यवाही की सघन मासिक समीक्षा करते हुए उसकी सूचना का संकलन कर अपने उच्चाधिकारी को प्रेषित की जाय।

(कार्यवाही:—समस्त सम्बन्धित विभाग)

- “येलो लाइन” कैम्पेन को समस्त राजकीय/सरकारी प्रतिष्ठानों में चलाया जाय।

(कार्यवाही:—महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, समस्त जिला अधिकारी, उ0प्र0 एवं समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0)

- जनपदों में सभी राजकीय/सरकारी प्रतिष्ठानों में कैम्पेन के माध्यम से तम्बाकू मुक्त प्रतिष्ठान की दिशा में सघन प्रयत्न करते हुए सी0ओ0टी0पी0ए0—2003 को लागू किया जाय।

(समस्त जिला अधिकारी, उ0प्र0 एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0)

- प्रदेश में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की प्रगति का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के लिए राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग समिति का गठन किया जाय।

(कार्यवाही:—राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0)

- कुम्भ मेला—2019 को तम्बाकू मुक्त घोषित करने के लिए प्रचार—प्रसार, प्रशिक्षण, होर्डिंग, बैनर के माध्यम से जागरूक करें।

(कार्यवाही:—मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इलाहाबाद)

- प्रदेश में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं सी0ओ0टी0पी0ए0—2003 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जनमानस के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में ई—सिगरेट पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने का निर्णय हेतु प्रेषित प्रस्ताव पर कार्यवाही किया जाना।

(कार्यवाही:— चिकित्सा अनुभाग—7, उ0प्र0 शासन)

- सभी होटलों एवं पर्यटन स्थलों एवं अन्य विभागों में डी0एस0ए0 (नामित धूम्रपान क्षेत्र) का अनुपालन सी0ओ0टी0पी0ए0—2003 अधिनियम की धारा—4 के प्राविधानों के अनुसार किया जाना

सुनिश्चित कराना, तथा तत्सम्बन्धी निषेधात्मक कृत कार्यवाहियों की मासिक समीक्षा करते हुए उसकी सूचना का संकलन कर सूचना अपने उच्चाधिकारी को प्रेषित की जाय।

(कार्यवाही:-स्वास्थ्य विभाग, पर्यटन विभाग, पुलिस विभाग एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग)

➤ प्रदेश में खुली सिगरेट पर लगे प्रतिबन्ध का प्रभावी अनुपालन किया जाय, तथा तत्सम्बन्धी निषेधात्मक कृत कार्यवाहियों की मासिक समीक्षा करते हुए उसकी सूचना का संकलन कर सूचना अपने उच्चाधिकारी को प्रेषित की जाय।

(कार्यवाही:-पुलिस विभाग/स्वास्थ्य विभाग/जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ)

➤ प्रदेश के प्रत्येक विद्यालयों में एक नोडल शिक्षक नामित किया जाय जो कि तम्बाकू नियंत्रण के कार्य को संचालित करेगा एवं विद्यालयों को तम्बाकू मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करेगा।

(कार्यवाही:-शिक्षा विभाग)

अन्त में बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।


(वी०हेकाला इंसोमी)
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-7
संख्या-११०/पांच-७-२०१८
लखनऊ: दिनांक: १६ जुलाई, २०१८

संख्या— (1) / पांच-७-२०१८ तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— निजी सचिव, सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
- 2— महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० लखनऊ।
- 3— डा० सबिता भट्ट, निदेशक, स्वास्थ्य, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित विभागों को कार्यवृत्त की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 4— डा० आलोक कुमार, स्टेट नोडल आफीसर, टोबेको कन्ट्रोल।
- 5— श्रीमती सीमा गुप्ता, निदेशक, वालेन्टी हेल्थ एसोसिएशन आफ इण्डिया।
- 6— डा० राना जे० सिंह, द यूनियन न्यू दिल्ली एण्ड/यू०पी०वी०एच०ए० यू०पी०, लखनऊ।
- 7— श्री रंजीत कुमार सिंह, लीगत एक्स्पर्ट, टोबेको कन्ट्रोल।
- 8— श्री सतीश त्रिपाठी, स्टेट कन्सलटेन्ट, एस०टी०सी०सी०।
- 9— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

१


(हरनाम)
उप सचिव।

०१

सार्वजनिक संस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में संवादोंटोंही 05-05-2003 को आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य यह था कि विभिन्न संस्थान एवं विद्युत विभागों ने अपनी सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी और विचारों का विशेष विवरण दें।

THE STATE OF THE UNION ADDRESS

422 *Journal of Health Politics, Policy and Law*, Vol. 29, No. 3, June 2004

क्रम संख्या	नाम	पद नाम	प्रिया का नाम	गोवाइल नंबर	ई-मेल आई एड्रेस	उत्तर
१	दुर्दम दी० हेमातो झिमानी	संचय	दिवेश्वरा राजाराय एवं परिवार काल्याणार उद्योग।			(Q)
२	लाला साहेता अद्वय	गोवाइल	त्वारय रोपा महानेदशालय, उद्योग।		directline.9411027610@gmail.com	SPUJ
३	श्री कौशल सरज	जिला अधिकारी, तारुण्यका।				
४	राजेश गो.	लोको फ्रैंचार्टर एवं लैन्क	वाराणसी प्रभु सिंहासन लैन्क	७२३५८०१०५	ajaygupta@gmail.com	
५	Dr. Darshan Joshi	Asst. Professor Respiratory medicine	3808219222	clarkbush@rocketsmail.com		Ques
६	Dr. Vinod Kumar Srivastava	Asst Prof. B.P.T. of Physical Health Education, Karanpur, Bihar	93311153902-	Vinod.yuvanraj1990@gmail.com		Vip
७	CA Kshitit Khetan	State Finance Consultant (LCO)	९४३४८५४९९८	npdcscup@gmail.com		True
८	Surya Borkar Patolkar	STATE CONSULTANT NMCP	९४५०३६०३२८	sharmap.vip@gmail.com		
९	Alena Joshi	Director (Tobacco Control & RCH)	९८६८५४१६५५	Scenagupta1997@gmail.com		Ques
१०	Sudisha Tripathi	State Consultant NTCP, U.P.				
११	Geetika	A D (C) Secondary Education	९४५८४५९२५	vitrajk2072@gmail.com		

संसदीय लक्षण निरेका कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में संसदीय कार्यालय-2003 के समर्थी कार्यालय देखु दिनांक 05.07.2013 को संविधि विभिन्नता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उम्मीद शासन की इकाई ने राज्य स्तरीय वर्किंग ट्रोप कमेटी की बैठक

13	Mr K.P. Prabhakar	कार्यालय	मुख्य सचिव	09459154899	lks.kar@jyoti.nic.in	
14	Dr. Mayank Chaudhary	D.C.(N.T.C.D.) Utk.	CMO Office	9459196896	ntcpkhuknow@gmail.com	
15	Sukhbir Singh	NHAI		9850205102	Sukhi Counselling	
16	Kamal Tushar	ARTO	Transport office	9415542297	johnmurali2006@gmail.com	
17	Amit Bansal	Information		9935320302		
18	Dr. A. Singh	DRDO (NSIC)	CBMUV, N.H.W			
19	Dr. Anand K Tripathi	HOD, Physiotherapy Bihar Institute of Mass S	New Argyro Sanskruti	9452703131	drtripathi10@yahoo.co.uk	
20	Kurroni (L)	Endocrinologist		9415912677		
21	Dr. Shekhar Singh.	Medical Officer: DGMCH, U.P. L.K.N.	DGMCH, U.P. L.K.N.	9415365263		
22	Ranveer Singh	Orthopaedic		2190070		
23	Zaid	India			7268067777	
24	Pritam Singh	Manager TFC	Chitrakoot 312001	9161414951	Vikram Singhania@gmail.com	
25	Chirat Singh	Project Officer	15/292	15/151591494	Wabindra Singh	

राज्यपाल रामचन्द्र निवास बाबामुख के अन्तर्गत दरबार में सोलंगनाड़ी निवास - निवासम-2003 के प्राचीनी क्रियाकलापन के दिनांक 05.07.2007 को संधिया, निवित्तमा स्थाया एवं परिवार कल्याण, उपमा शारीन की अवस्था में सज्ज स्तरिय दर्दिन युग्म कोटी को देखा

			94564712375		
१५	Praveen Kishore	३० सालों			
१६	A. S. Balakrishna	Directorate of Health Ministry	Central Media	८६०४४४००९७	
१७	Pradeep Singh	Information Officer	Health Minister	९९३५३२०३०२	मिल्होर्सल्ट्रॉफ्ट
१८	Amit Kumar Singh	Programme Assistant	Olympic	९८५४५७५५७६	Medal India@gmail.com
१९	Om Prakash			८५०५५०५५०५५०	
२०					
२१					
२२	Kiran Srivastava	SPO	Prabhavati Supermodel	९५६१३०८५७८७	Kiran
२३	R.P. Tripathi	Inspector	Police Training Institute Head Quarter	८५२३७३७६५४	R.P.
२४	Rajesh Rain	W.H.A.T	Shm	९५५५८८५५५१	Rajesh
२५	Vishwanath Singh	W.H.A.T		९५१५८२४२१५५	Vishwanath
२६					
२७					